

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ0ग0)


// रुचि की अभिव्यक्ति (तृतीय आमंत्रण) //

कं. 1245 / निविदा / लोक-11 / 2016-17

राजनांदगांव दिनांक 07/10/2016

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव द्वारा बूढासागर के उत्तरी भाग में जी.ई.रोड किनारे नवनिर्मित फुड कोर्ट एवं उद्यान के तीन वर्षों तक संचालन संधारण कार्य हेतु इच्छुक व्यवसायियों से रु. 5.00 प्रस्तुतीकरण शुल्क सहित रुचि की अभिव्यक्ति दिनांक 26.10.2016 को शाम 5.00 बजे तक रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। प्राप्त रुचि की अभिव्यक्ति दिनांक 28.10.2016 को शाम 5.00 बजे तक खोले जावेगे।

फुड कोर्ट संचालन संधारण हेतु अस्थाई दखल शुल्क न्यूनतम रु. 7.00 लाख वार्षिक हैं अधिकतम शुल्क दाता के आफर को प्राथमिकता दी जावेगी। रुचि की अभिव्यक्ति से संबंधित अन्य जानकारी व शर्तें विभागीय वेबसाईट www.merjn.com देखी जा सकती है अथवा कार्यालयीन अवधि में देखी जा सकती हैं।



आयुक्त,

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव
राजनांदगांव दिनांक 07/10/2016

पृ. कं. 1246 / निविदा / लोक-11 / 2016-17

प्रतिलिपि:-

1. माननीय महापौर नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
2. माननीय अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
3. श्री ----- प्रभारी सदस्य, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
4. प्र. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
5. कार्यालय -----

नोटिस बोर्ड में चरपा हेतु।

आयुक्त,


नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

कार्यालय ,नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छोगा)

बुढ़ा सागर उत्तरी भाग फुड कोर्ट के संचालन संधारण हेतु शर्ते

1. स्थल का आबंटन तीन वर्षों के लिए किया जावेगा। विशेष स्थिति में एक माह का नोटिस पर स्थल यथा स्थिति रिक्त करना होगा।
2. स्थल जिस स्थिति में सौंपा जावेगा, उसी स्थिति में समयावधि के समाप्त होने पर निगम को वापस सौंपना होगा।
3. विद्युत देयक एवं समस्त संधारण व्यय संधारणकर्ता एजेंसी को वहन करना होगा।
4. स्थल पर समस्त प्रकार के मादक पदार्थों तथा मांसाहार का विक्रय एवं सेवन पूर्णतः निषेध होगा।
5. तालाब में किसी भी प्रकार का प्रदूषण वर्जित रहेगा।
6. अधिमोगी स्थल के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकेगा।
7. अधिमोगी अन्य व्यक्ति अथवा एजेंसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
8. फुड कोर्ट संधारण संचालन हेतु अस्थाई दखल शुल्क रू. 7.00 लाख वार्षिक है, इससे अधिकतम शुल्कदाता, के आफर को प्राथमिकता दी जावेगी।
9. रूचिदाता द्वारा अपने रूचि के अभिव्यक्ति के साथ रू. 10000.00 का अमानती राशि का एफ.डी.आर. जो आयुक्त, नगर पालिक निगम राजनांदगांव के नाम से देय हो प्रस्तुत करना होगा।
10. सफल रूचिदाता विचाराधीन कार्य को निर्धारित समय सीमा तक संचालन-संधारण करने की आर्थिक क्षमता रखता हो।
11. रूचि की अभिव्यक्ति सूचना एवं नियम शर्ते अनुबंध का एकभाग होगा।
12. संधारण-संचालन में संलग्न किये गये मजदूरों के लिए श्रम नियम का पालन संधारणकर्ता (अधिमोगी) को करना होगा।
13. समय-समय पर निगम सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जावेगा। संपूर्ण सहयोग एजेंसी को करना होगा।
14. सफल रूचिदाता का दर स्वीकृत होने पर सूचना प्राप्ति के 03 दिनों के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम राजनांदगांव का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।


Municipal Corporation
RAJNANDGAON, N.


आयुक्त, 6/11/15
नगर पालिक निगम, राजनांदगांव